परम्पराएँ और यथार्थ

परम्पराएँ और यथार्थ एक दूसरे के पूरक भी होते है तथा दोनों के बीच निरंतर टकराव भी होता रहता है। परम्पराएँ भूतकाल के निष्कर्ष तक सीमित होती है,जबकि यथार्थ वर्तमान के निष्कर्षों का संकेत होता है। परम्पराएँ और यथार्थ मिलकर भविष्य के दिशा निर्देष तय करते है। परम्पराएँ यथार्थ को लम्बे समय तक सुरक्षित रखती हैं, जबकि यथार्थ परम्पराओं की देशकाल परिस्थिति अनुसार समीक्षा करके संशोधन करने का प्रयास करता है। यही प्रयास परम्परावादियों तथा यथार्थवादियों के बीच टकराव का कारण बनता है।

परम्पराओं में जब विकृति आती है तो परम्पराएँ रुढिवाद में बदल जाती हैं। इसी तरह यथार्थवाद में जब विकृति आती है तब वह आधुनिकता में बदल जाता है। यह रुढिवाद और आधुनिकता के बीच उत्पन्न विकृति ही टकराव का कारण बनती है। सामान्यतया परम्परा और यथार्थ स्वाभाविक रुप से समाज में निरंतर चलते रहते है। न तो परम्पराएँ कभी समाज को संतुलित रख सकती है और न ही यथार्थवाद। क्योंकि समाज का औसत बहुमत न तो यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता रखता है, न ही उसके पास इतना समय और साधन होता है। यही कारण है कि समाज एक छोटे से विचारक समूह के यथार्थवादी चिंतन के आधार पर निकले निष्कर्षों को अक्षरशः सत्य मानकर उन्हें परम्परा के रुप में विकसित कर देता है।

प्राचीन समय से भारत में यथार्थवाद का निरंतर प्रयास होता रहा। भारत ने दुनिया को यथार्थवादी निष्कर्ष प्रस्तुत किये किन्तु जब भारत गुलाम हुआ तो उसकी यह क्षमता लगभग समाप्त हो गई, और भारत पहले परम्पराओं का देश बना और बाद में रुढिवाद में जकड़ गया। पश्चिम के देश यथार्थ को परम्पराओं के साथ जोडकर देखने का प्रयास करते है किन्तु गंभीर चिंतन का अभाव उन्हें इस दिशा में आगे नहीं बढने देता। साम्यवादी देशों के पास कोई यथार्थवादी दृष्टिकोण कभी होता ही नहीं। वे तो सिर्फ परम्पराओं को तोड़कर उन्हें आधुनिकता की अंतिम सीमा तक विकारग्रस्त करने में प्रयत्नशील रहते है। ये दोनों ही विकृतियॉ समाज के लिए बहुत घातक होती है। रुढिवादी ऐसा मानता है कि वही अंतिम सत्य है और उसमें कभी किसी संशोधन की गुंजाईश नहीं हो सकती। ऐसे रुढिवादियों में इस्लाम सबसे उपर है तथा गुलामी के बाद धीरे धीरे हिन्दुत्व भी उस दिशा में बढ रहा है। दूसरी ओर आधुनिकता हमेशा ऐसा मानती है कि जो भी परम्पराएँ है वे पूरी तरह गलत है और उन्हें बिना सोचे समझे, बिना किसी कसौटी पर कसे, बिना कोई निष्कर्ष निकाले समाप्त कर देना चाहिए। सच्चाई यह है कि ये दोनों ही धारणाएँ समाज में शांतिभंग करती है, अस्थिरता फैलाती हैं तथा कभी कभी हिंसक टकराव तक आगे चली जाती है।

यदि हम प्राचीन समय का उदाहरण देखें तो पृथ्वी गोल है या चपटी , इस यथार्थ को बताने वाले वैज्ञानिक को रुढिवादियों ने मृत्युदण्ड दिया। ऐसी और भी अनेक घटनाएँ हुई है जो इतिहास में दर्ज है। दूसरी ओर साम्यवादियों ने अपने अपने देशों में लाखों करोडो परम्परावादियों का यह कहकर कत्ल कर दिया कि ये रुढिवादी हैं, दकियानुसी है,आधुनिकता के विरोधी हैं। रुढिवादी मुसलमानों ने मूर्तिपूजा के नाम पर रुढिवादी हिन्दुओं के साथ कितना अन्याय और अत्याचार किया वह भी इतिहास में दर्ज है। दुनिया का इतिहास रुढिवादियों और आधुनिकता के अंधसमर्थकों के अत्याचारों से काला हो चुका है।

अब हम पुरानी चचाओं को छोडकर आज की चर्चा करें। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान में एक लडकी कदील बलोच की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने एक मौलवी के साथ बहुत नजदीक बैठकर फोटो खिचवाई थी। यह बात उसके परिवार को बुरी लगी और लड़की के भाई ने कदील बलोच नामक अपनी बहन की हत्या कर दी। ऐसी ऑनरकिलिंग की हत्याएँ भारत में भी और हिन्दुओं में भी आये दिन होती रहती हैं।विचारणीय प्रश्न यह है कि इन हत्याओं का दोषी कौन? हत्या करने वाले अपनी परम्पराओं की सुरक्षा करने का सामाजिक दायित्व पूरा कर रहे हैं और उसके लिए अपने परिवार के सदस्यों की हत्या तक करने का खतरा उठा रहे हैं। दूसरी ओर कदील बलोच जैसी महिलाएँ आधुनिकता के चक्कर में इस सीमा तक आगे बढ रही हैं कि उन्हें पारिवारिक अनुशासन के विरुद्ध आचरण करने में किसी भी प्रकार के खतरे का कोई डर नहीं, और वे परम्पराओं को तोडने के लिए ऐसे खतरे उठा रही हैं। बाहर के अन्य रुढिवादी ऐसी ऑनरकिलिंग का आतंरिक चचाओं में समर्थन और प्रशंसा करते दिखते हैं। जबकि बाहर के आधुनिकतावादी ऐसी ऑनरकिलिंग को कानून के द्वारा तथा प्रचार के द्वारा इतनी गंभीर सामाजिक समस्या प्रचारित करते रहते है कि कानून के द्वारा ऐसी घटनाएँ करने वालो को कठोरतम दण्ड की व्यवस्था हो। दुर्भाग्य से संकीर्ण रुढिवादी तथा उच्श्रृंखल आधुनिकतावादी, दोनों ही संगठित होते है, दोनो ही सरकारों पर दबाव बनाते है तथा सरकारे समय समय पर इनके दबाव के आगे झुक जाया करती है तथा कानून के द्वारा दो विपरीत धारणायें समाज में फैलाती रहती है।

व्यक्ति तीन जगह से अनुशासित होता है–1. परिवार से,2.समाज से,3. सरकार से। तीनों ही मिलकर व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देते है। परिवार अपने परिवार को अनुशासित रखता है, समाज धर्म के माध्यम से व्यक्ति के विचारों में सकारात्मक बदलाव के प्रयत्न करता है,तथा सरकार या कानून दोनों ही अनुशासनों के असफल होने की स्थिति में बल प्रयोग का सहारा लेता है। समस्या तो तब पैदा होती है जब परिवार और समाज की मान्यताएँ,सरकार की मान्यताओं से टकराव में बदल जायें । तब व्यक्ति के समक्ष दुविधापूर्ण संकट पैदा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वैच्छा अनुसार शारीरिक संबंध बनाने का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार में

बलपूर्वक कोई बाधा पैदा नहीं की जा सकती। इस तरह यदि किसी ने कदील बलोच की हत्या की है तो वह हत्या का अपराधी है किन्तु इसका एक दूसरा पक्ष भी विचारणीय है कि क्या कदील बलोच को अपने परिवार में रहते हुए परिवार का अनुशासन तोडने की असीम स्वतंत्रता थी? यह सच है कि ऐसा अनुशासन तोडने वालों को किसी भी रुप में दण्डित नहीं किया जा सकता और जो परम्परावादी ऐसी ऑनरकिलिंग का परोक्ष भी समर्थन कर रहे है, वे दोषी है। उन पर सामाजिक अनुशासन की कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही कदील बलोच जैसी परम्पराओं को तोडने का प्रयत्न करने वाली महिलाओ या पुरुषों को तत्काल ही अपने परिवार से अलग हो जाना चाहिए या निकाल दिया जाना चाहिए। जो लोग किसी भी रुप में ऐसे अलगाव में बाधक बनते है ऐसे लोग भी ऐसी ऑनरकिलिंग के लिए दोषी माने जाने चाहिए। दुख तो तब होता है जब परिवारों के आंतरिक मामले, जो सिर्फ अनुशासन तक ही सीमित है, उनमें भी आधुनिक राजनेता कानून बना बनाकर अपनी इच्छाएँ जबरदस्ती थोपते रहते हैं। कल्पना करिये कि भारत में कोई लडकी परिवार के विरोध के बाद भी मोबाइल का मुक्त प्रयोग करना चाहती है। परिवार ने उसे हल्का सा डांट दिया और उसने आत्महत्या कर ली। सारे देश में आधुनिकतावादियों का तूफान खडा हो जायेगा। कानून भी अपना काम करने लगेगा। उस लडकी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा परिवार को झेलना पडेगा। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यही आधुनिकतावादी एक ओर तो व्यक्ति स्वातंत्र की इतनी वकालत करते है तो दूसरी ओर वही लोग परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी परिवार छोडने या परिवार से निकालने के विरुद्ध कानून भी बनाकर रखते है। पति पत्नी यदि अलग अलग होना चाहे तो उन्हे सरकार की अनुमति चाहिए। एक ओर तो यही लोग शारीरिक संबंध बनाने की स्वतंत्रता की दुहाई देते है, तो दूसरी ओर यही लोग 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने पर प्रतिबंध भी लगाते है। क्या यह उचित नहीं होगा कि ऑनरकिलिंग का दण्ड देते समय ऐसे ऐसे परिवार तोडक समाज तोडक कानून बनाने वालो को भी दण्डित करने की कोई व्यवस्था हो। यदि सरकार ऐसी व्यवस्था न करे तो समाज को ऐसी पहल क्यों नहीं करनी चाहिए? इस तरह लम्बे समय तक कुछ निकम्मे या धुर्तो को परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था में अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं देनी चाहिए।

मैं रुढिवाद के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मैं सामाजिक परम्पराओं का तब तक विरोध नहीं करता जब तक वे परम्पराओं तक सीमित हैं। मैं यथार्थवादी हूँ किन्तु यथार्थवाद के नाम पर आधुनिकता के विस्तार का भी घोर विरोधी हूँ। मैं किसी भी ऑनरकिलिंग के पूरी तरह विरुद्ध हूँ किन्तु इस बात का पूरी तरह समर्थक हूँ कि परिवार को अपने सदस्यों पर अनुशासन बनाये रखने का उस सीमा तक अधिकार है जहॉ तक उसके मौलिक अधिकार का उलंघन न होता हो। यदि कोई व्यक्ति परिवार के ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है तथा आंतरिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करता है तो मैं उसे भी दण्ड दिये जाने का पक्षधर हूँ भले ही वह कोई भी क्यों न हो। परिवार को यह अधिकार नहीं की वह किसी व्यक्ति को किसी भी गलत कार्य के लिए किसी भी रुप में दण्डित कर सके। क्योंकि यह काम सिर्फ शासन तक सीमित है। साथ ही शासन को भी यह अधिकार नहीं है कि वह हमारे पारिवारिक अनुशासन को छिन्न भिन्न करने का कोई कानून बनावे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं को ठीक–ठीक समझेंगे।

रघुराज रमण कितने अर्थशास्त्री? कितने अर्थ प्रबंधक

अर्थशाास्त्र और अर्थ प्रबंधन के बीच आसमान जमीन का फर्क होता है। अर्थ शास्त्री आर्थिक सिद्धान्तो पर विचार मंथन करके कुछ निष्कर्ष निकालता है तो अर्थ प्रबंधक प्रचलित अर्थ सिद्धान्तो का अनुकरण करते हुए तदनुसार अर्थ प्रबंधन करता है। यदि कोई सिद्धान्त ही मूल रूप से गलत है या गलत धारणाओ पर स्थापित है तो उस सिद्धान्त के आधार पर किये गये अर्थ प्रबंधो के निष्कर्ष तथा परिणाम भी गलत ही होंगे। यदि पृथ्वी को सिद्धान्त रूप से चपटी मान कर नियम बनते रहेगें तो उसके अनुसार निकले निष्कर्षो मे भूल स्वाभाविक है । इसी तरह की भूल आर्थिक मामलों मे भी होती है। इसके लिये भूल करने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होता बल्कि दोषी है वह धारणा जो किसी अर्थ प्रबंधक को अर्थ शास्त्री घोषित करके उन्हें स्थापित कर देती है।

भारत के रिजर्व बैक के वर्तमान गवर्नर श्री राजन, जो शीघ्र ही सेवानिवृत हो रहे हैं, उन्हें विश्व प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री माना जाता है। मैं भी अन्जाने में उन्हें वैसा ही मानता रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व उन्होने दुनियां मे आर्थिक मंदी आने की जो भविष्यवाणी की थी उस भविष्य वाणी ने भी मेरा विश्वास मजबूत किया। उनके अतिरिक्त दुनियां में किसी अन्य ने कोई ऐसा निष्कर्ष नही निकाला था किन्तु एक दो वर्षो में ही श्री राजन की यह भविष्यवाणी सच साबित हुई । मुझे लगा कि वे अर्थ शास्त्री है किन्तु अभी अभी कुछ दिनो पूर्व उन्होने भारत मे मंहगाई के अस्तित्व पर जो धारणाएं प्रस्तुत कीं उन के आधार पर मैं यह मानने को मजबूर हुआ कि वे एक कुशल अर्थ प्रबंधक मात्र हैं, अर्थ शास्त्री नहीं। उन्होने कहा कि भारत में मंहगाई बढ़ रही हैं। मंहगाई का दुष्प्रभाव निचले तबके पर पड रहा है तथा उस दुष्प्रभाव से बचने के लिये महंगाई पर कड़ी निगरानी होनी चाहिये।

मंहगाई और मुद्रा स्फीति बिल्कुल अलग अलग होते है । मुद्रा स्फीति का आकलन करते समय रूपये का मूल्य घटता है, वस्तु का मूल्य स्थिर होता है जबकि मंहगाई का आकलन करते समय रूपया स्थिर होता है और वस्तु का मूल्य बदलता रहता है। मुद्रा स्फीति रूपये की उपलब्धता बढने के कारण होती है जबकि मंहगाई रूपये के घटने बढने से प्रभावित नही होती बल्कि उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन और उपभोग के बीच अंतर घटने बढने

से होती है। मुद्रा स्फीति का प्रभाव सिर्फ नगद रूपया रखने वाले पर ही होता है, रूपया छोडकर अन्य किन्हीं वस्तुओं पर नहीं, जबकि मंहगाई का प्रभाव नगद रूपये पर शून्य होता है। सिर्फ वस्तुओ के मूल्य पर होता है। मुद्रा स्फीति का कारण नगद रूपये पर सरकार के द्वारा लगाया गया अधोषित कर है। जब सरकार घाटे का वजट बनाती है उसकी पूर्ति के लिये नोट छापती है तब मुद्रा स्फीति होती है। जबकि किसी कारण से उत्पादन घटता है, निर्यात बढता है, अथवा व्यक्ति की क्रयशक्ति बढती है, तब वस्तुओ की मांग और पूर्ति के बीच फर्क आ जाता है और वस्तुए मंहगी हो जाती है । कुछ वस्तुओ का समय समय पर मंहगा और सस्ता होना एक साथ चलता रहता है, जिसे आमतौर पर मंहगाई नहीं कहते। किन्तु जब अधिकांश उपभोक्ता वस्तुए मंहगी हो जाती है और क्रय शक्ति उसकी तुलना मे कम रहती है तब उसे मंहगाई कहते हैं। इस तरह मुद्रा स्फीति का औसत जन जीवन पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होता। जबकि मंहगाई का औसत जन जीवन पर प्रभाव होता है।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत मे चालीस के दशक मे मंहगाई का बहुत बुरा प्रभाव पडा था। आम लोगो की क्रयशक्ति नही बढी थी किन्तु औसत वस्तुओ का मूल्य कई गुना अधिक बढ गया था। कुछ लोग इसे बारह गुना तक कहते हैं। उस समय देश की जनता मंहगाई से त्रस्त थी। सन 47 के बाद से लेकर आज तक मुद्रा स्फीति तो बढी है और मंहगाई घटी है। मुद्रा स्फीति 70 वर्षो मे करीब 90 गुनी तक बढी है । दूसरी ओर औसत उपभोक्ता वस्तुओ के मूल्य रुपये की तुलना मे 60 से 70 गुने तक ही बढे है। इसका अर्थ हुआ कि मंहगाई कुल मिलाकर घटी है। मंहगाई के अच्छे प्रभाव का आकलन इस आधार पर भी होता है कि जब मंहगाई घटती है तो आम लोगो का जीवन स्तर सुधरता है तथा सोना चांदी जमीन जैसी वस्तुओ के मूल्य तेजी से बढते हैं । इसका अर्थ हुआ कि आम लोगो की क्रय शक्ति अपेक्षाकृत अधिक बढ रही है, और वस्तुओ के मूल्य कम । एक और आकलन होता है कि यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य बहुत बढ जायें तथा उसकी मांग बनी रहे तो उससे सिद्ध होता है कि आम लोगो की क्रय शक्ति बढी है। अभी अभी देखने मे आया है कि चना दाल के मूल्य कई गुना बढे किन्तु साथ साथ उसकी मांग भी कम होने की अपेक्षा बढी है। स्पष्ट है कि कुल मिलाकर क्रय शक्ति की तुलना मे वस्तुओ के मूल्य घटे हैं। मै नही समझा कि ये सारे यथार्थ श्री राजन के सामने होते हुए भी उन्होने मंहगाई का अस्तित्व कैसे स्वीकार किया? श्री राजन मंहगाई और मुद्रा स्फीति के अंतर को नही समझ सके। श्री राजन यह क्यो नही समझ सके कि मंहगाई से औसत जन जीवन कमजोर होता है और भारत मे औसत जन जीवन लगातार उपर जा रहा है। वे क्यो नही समझ सके कि सोना चांदी और जमीन के मूल्य लगातार बेतहासा बढ रहे हैं। यदि वे ऐसा नही समझ सके तो यह स्पष्ट है कि वे अर्थ प्रबंधक मात्र हैं, अर्थ शास्त्री नही।

आदर्श स्थिति मे मंहगाई का आकलन श्रम मूल्य से किया जाता है। सन 47 मे एक दिन के श्रम के बदले मे मजदूर को डेढ़ किलो अनाज दिया जाता था। जिसका मूल्य करीब पचास पैसे होता था। वर्तमान समय मे एक दिन के श्रम का मूल्य वस्तु के रूप मे डेढ़ किलो से बढकर सात किलो करीब हो गया है तथा रूपये के आधार पर एक सौ पचास रूपये करीब है। स्पष्ट है कि यदि मुद्रा स्फीति और कृषि उत्पादन मूल्य को अलग अलग करें तो श्रम मूल्य करीब पौने दो गुना बढा है, तथा अनाज के मूल्य घटकर करीब 60 प्रतिशत रह गया है। इन दोनो का मिला जुला प्रभाव औसत जन जीवन पर दिखाई दे रहा है। मजदूर सहित सभी उपभोक्ता प्रसन्न हैं किन्तु छोटे किसान आत्महत्या कर रहे है। किन्तु पश्चिम की किताबें पढने अथवा सरकारी नौकरी के प्रभाव के कारण श्री राजन श्रम तथ वस्तु के आपसी संबंध की तुलना न करके एक ऐसे रूपये को आधार मान रहे है जो स्वयं 70 वर्षो मे 90 गुने तक नीचे गिर चुका है।

श्री राजन स्वयं जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत मे एक तिहाई निचली आबादी की प्रति व्यक्ति आय सरकारी आकडो के अनुसार 15 पैसे के आस पास प्रति व्यक्ति थी। यह रूपये के गिरते मूल्य के कारण सन 2005 मे अटल सरकार के समय 5 रूपये करीब थी। उसके बाद मनमोहन सरकार के समय यह आय 12 रूपये करीब थी और आज प्रति व्यक्ति 30 रूपये है। यह उस समय के 15 पैसे से 30 रूपये तक का सफर मुद्रा स्फीति और बढती विकास दर को मिलाकर है। दोनों को अलग अलग कर देने के बाद अंधे आदमी को भी साफ दिखने लगेगा कि मंहगाई घटी है और जीवन स्तर सुधरा है। मै नही समझ पा रहा कि श्री राजन को मंहगाई और मुद्रा स्फीति के अलग अलग करके देखने मे क्या कठिनाई आ रही है।

मै अनुभव करता हूँ कि दोनो को एक करने के पीछे राजनेताओ, सरकारी कर्मचारियों तथा पूंजीपतियों का मिला जुला षणयंत्र होता है। राजनेता स्थापित सरकारो के विरूद्ध मंहगाई का दुष्प्रचार सत्ता परिवर्तन के लिये इस प्रकार करते है कि आम लोगो के अंदर असत्य मंहगाई का भूत सत्य के समान दिखने लगता है। सरकारी कर्मचारी मंहगाई का हल्ला करके लगातार अपना वेतन भत्ता और सुविधाए बढवाने का खेल खेलते रहते है। पूंजीपति हमेशा चाहते है कि आर्थिक असमानता पर से ध्यान हटाने के लिये मंहगाई के मूददे को ढालके रूप मे उपयोग किया जाये । इन तीनो की रोटी या सुविधा पर जीवित रहने वाला मीडिया लगातार इस भ्रम को चलाता रहता है। यही कारण है कि भारत के 99 प्रतिशत लोग सब कुछ जानते हुए भी इस प्रचार के शिकार हो जाते हैं । मै नहीं समझता कि राजन ने जानबूझकर यह भ्रम फैलाया अथवा उनकी इससे अधिक योग्यता ही नहीं

थी। कारण चाहे जो भी हो लेकिन इस बात को कहकर श्री राजन ने अपनी अर्थ शास्त्री होने की प्रतिष्ठा को कमजोर किया है।

श्री राजन यह स्पष्ट देख रहे हैं कि भारत मे पिछले दो वर्षो से आर्थिक मंदी आई हुई है, छाई हुई है। लोहे के दाम लगभग आधे हुए हैं। धान चावल गेहू के दाम घटे हैं। मकानो के ग्राहक नही हैं। राजन जी का आकलन इन सब बातो के होते हुए भी हर साल पांच प्रतिशत मंहगाई बढ़ी हुई दिखा रहा है। प्रतिवर्ष प्रचार मे दाल और सब्जी के दाम डेढ से दो गुना बढे हुए बताये जाते हैं। 70 वर्षो से मैं लगातार यही बात सुनता आ रहा हूँ। अगर 20 वर्षो का भी आकलन करे तो दाल खादय तेल सब्जी के दाम सौ दो सौ गुने तक बढे हुए दिखने चाहिये। किन्तु स्पष्ट दिख रहा है कि इन सबकी खपत आबादी की तुलना मे कई गुना अधिक बढ रही है और मुद्रा स्फीति की तुलना मे दालो को छोडकर सब स्थिर है। मैने प्रयत्न किया कि इसके आकलन का सही तरीका खोजा जाये। तो मुझे दिखा कि यह एक ऐसा जाल है कि जिसमे घुसना सामान्य व्यक्ति के लिये असंभव है। पांच तरह के अनावश्यक सर्वे जाल के समान बने हुए है। कोई डब्लु पी आई है तो कोई सी पी आई है तो तीसरा सी पी आई मे भी एल जुडा हुआ है, तो किसी मे एन जुडा हुआ है। पता नही इतने तरह के अलग अलग आकडे बनाकर सामान्य सी परिभाषा को इतना जटिल क्यों बनाया गया है। मै श्री राजन सहित तथाकथित अर्थशास्त्रियो से भी सीधा सा सवाल पूछता रहा हूँ, लिखकर भी पूछता हूँ टी वी मे भी पूछता रहा हूँ और इस लेख के माध्यम से भी मै पुनः पूछ रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद भारत मे मंहगाई कितने गुना बढी और तेंतीस प्रतिशत निचली आबादी पर उसका कितने गुना दुष्प्रभाव पडा। यह छोटा सा उत्तर भी मुझे आज तक किसी से नही मिला।

मै चाहता हूँ कि इस छोटे से प्रश्न का उत्तर खोजा जाये और जब तक इसका उत्तर न मिल जाये तब तक मंहगाई के असत्य को प्रचारित करना बंद कर दिया जाय।

समस्या पाकिस्तान या इस्लाम?

कुछ लोगों ने फेसबुक पर एक नारा प्रसारित किया है । टुकडे–टुकडे पाकिस्तान शांति से रहे,हिन्दुस्तान। उसके ठीक अलग तरह का एक नारा और मिला है। टुकडे–टुकडे हो इस्लाम,रहे शांति से सकल जहान। मैंने इन दोनों नारों का विचार किया और मुझे भारतीय परिवेश में दूसरा नारा ठीक लगा। मेरे विचार में कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या नहीं है बल्कि इस्लाम और गैर इस्लाम के बीच की समस्या है। यदि कश्मीर भारत पाकिस्तान की समस्या रहा होता तो इजराइल ,रुस, चीन जैसे देश कश्मीर सरीखी अलगाववादी समस्या से नहीं जुझ रहे होते। यहॉ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन,और फांस जैसे देश जहॉ ऐसा कोई विवादास्पद टकराव नहीं है वहॉ भी इस्लाम एक समस्या के रुप में चिन्हित हो रहा है। यहॉ तक कि अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की उम्मीदवारी में मुख्य मुद्दा इस्लाम है। यदि हम और आगे विचार करें तो जहॉ इस्लाम को टकराने के लिए कोई गैर इस्लामिक समूह उपलब्ध नहीं है वहॉ वे आपस में ही कटमर रहे है। पाकिस्तान में आपसी टकराव भारत के कारण नहीं बल्कि अपने स्वभाव के कारण ही है। दुनिया के अनेक देशों में मुसलमान बडी संख्या में आपस में ही कटमर रहे है क्योंकि वहा उन्हे मारने काटने के लिए कोई गैर इस्लामी समूह उपलब्ध नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ कि कश्मीर समस्या को पाकिस्तान के साथ जोडकर देखना गलत नजरिया है।

कश्मीर का भारत में विधिवत विलय हुआ था, किसी शर्त के आधार पर नहीं। जिस तरह अन्य राजाओं ने अपने अपने राज्यों का विलय भारत और पाकिस्तान में किया , उसी तरह कश्मीर के राजा ने भारत में विलय किया। किसी क्षेत्र में जनमत संग्रह विलय के पूर्व नहीं हुआ और न ही विलय के बाद। भूल से नेहरु जी ने कुछ अधिक उदारता दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में विलय के बाद भी जनमत संग्रह की बात कह दी। यह आश्वासन कश्मीर के नागरिकों को नहीं दिया गया बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया गया था । अधिक से अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ तक यह बात जा सकती थी न कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के रुप में। दूसरी बात यह भी है कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र में निलंबित रहते हुए भी पाकिस्तान ने दो बार कश्मीर के लिए भारत से युद्ध किया और यदि वह नही जीत सका तो यह तर्क कहॉ तक न्याय संगत है कि जीत जाते तो नही मानते और हार गये तो न्याय की गुहार लगायेगें । सच्चाई यह है कि कश्मीर का मसला भारत के लिए न्याय का आधार नहीं हो सकता, बल्कि सुविधा का आधार हो सकता है,क्योंकि पाकिस्तान कभी किसी मामले में न्याय की बात नहीं करता बल्कि हमेशा ताकत की बात करता है। सबसे बडा खतरा यह है कि टकराव का कारण न कश्मीर है न पाकिस्तान बल्कि टकराव का कारण है इस्लाम का व्यवहार एवं विस्तारवादी चरित्र। यदि आज कश्मीर में मानवता का आधार लिया गया तो इस्लाम पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर,पंजाब और राजस्थान को अशांत करेगा क्योंकि उसे अपना विस्तार करने के लिए गैर इस्लामी क्षेत्र चाहिए और वह क्षेत्र कश्मीर से निकल कर आगे बढ़ जायेगा।

विचारणीय यह है कि इसका समाधान क्या है। वैसे तो किसी कहावत के अनुसार यह सदी प्राकृतिक रुप से इस समस्या को निपटा देगी और चौदह सदी में ये अपने आप लड कर मर जायेंगे किन्तु मैं इस पर विश्वास नहीं करता । मेरे विचार में इस्लाम स्वयं में कोई बुराई नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं जो इस्लाम में आतंकवाद का

कारण कुरान या अन्य मुस्लिम धर्म ग्रंथों में खोजते हैं। जिस तरह की हिंसा की बातें मुस्लिम धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, वैसी बातें तो कई हिन्दू या अन्य धर्मग्रंथों में भी लिखी हैं। समस्या धर्मग्रंथ नहीं बल्कि समस्या धर्मग्रंथो के आधार पर बने संगठन हैं। जो मुसलमान धार्मिक मान्यता तक सीमित है वे कहीं कोई समस्या नहीं है। किन्तु जो मुसलमान धार्मिक संगठन से जुडे है वे समस्या के अतिरिक्त कुछ है हीं नहीं। दुर्भाग्य से मुसलमानों का अधिकांश संगठन से जुडा है। इस्लाम का विभाजन यदि संगठित मुसलमान तथा धार्मिक मुसलमान के बीच हो जाये तो सारी दुनिया को इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। भारत को तो मिल ही जायेगी।

ये संगठित मुसलमान भी नमाज के बहाने हर शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठे किये जाते है तथा उन्हें संगठन का पाठ पढाया जाता है। यह शुक्रवार के दोपहर की नमाज तथा मदरसों में बच्चों को साम्प्रदायिकता की ट्रेनिंग सारी समस्याओं का कारण हैं। हमें सबसे पहले इन दो कारणों को टारगेट करना चाहिए। जब तक संगठित मुसलमानों को धार्मिक मुसलमान की दिशा में प्रेरित या मजबूर नहीं किया जायेगा तब तक न भारत शांत रहेगा, न दुनिया।

जहॉ तब कश्मीर का सवाल है तो भारत सरकार पूरी तरह ठीक दिशा में चल रही है। मैं तो महसूस करता हूॅ कि संगठित हिन्दुत्व का नेतृत्व भी मोहन भागवत जी के स्थान पर राम माधव जी की दिशा में सरक जाये तो अधिक लाभदायक होगा। जिस तरह राम माधव जी ने कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश की वह किसी अन्य के बस की बात नहीं थी फिर भी यह उनका आंतरिक मामला है। हम तो सिर्फ सलाह ही दे सकते है। यदि मेरी सलाह का महत्व हो तो मैं संघ परिवार को सलाह दूॅगा कि दुनिया को हिन्दू गैर हिन्दू के बीच बांटने की मूर्खतापूर्ण कवायद को छोडकर संगठित इस्लाम बनाम धार्मिक इस्लाम में बांटकर धार्मिक इस्लाम को गैर इस्लाम के साथ जोड दिया जाये। फिर आप देखेंगे कि इस्लाम भी जिंदा रहेगा और दुनिया भी शांति से रहेगी। साप भी मर जायेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।

समाचार

1.समाचार है कि उत्तर प्रदेश मे एक भाजपा नेता ने बसपा नेता के विरूद्ध कुछ अपशब्दो का प्रयोग किया तो वसपा नेताओ ने भाजपा नेता की पत्नी और बच्ची के विरूद्ध उससे भी अधिक गंदे शब्दो का प्रयोग किया। सच है कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे गिरते स्तर मे वैश्या शब्द भी लगातार महिमा मंडित होता जा रहा है। किसी कवि ने बहुत पहले ही लिखा था।

राजनीति बन गई तवायफ।
नेता हुए दलाल।।
ऐसे मे क्या होगा भइया।
इस समाज का हाल।।
संसद को एक पलंग समझकर।
उस पर शयन किया।।
संविधान को मान के चादर।
खींचा ओढ लिया।।
आज तिरंगा बना हुआ है।
राजनीति की ढाल।।
ऐसे मे क्या होगा भइया।
इस समाज का हाल।।

मेरे विचार से वर्तमान भारतीय राजनीति कवि के इस कथन को पूरी तरह चरितार्थ करने का प्रयास कर रही है

2.समाचार है कि अरविन्द केजरीवाल पंजाब में पूरी तरह नशा बन्दी के पक्ष में हैं। उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव का मुख्य मुददा नशाबंदी घोषित किया हैं। उनकी राजनैतिक पार्टी के सब लोग नशा के विरुद्ध आन्दोलन करते रहे हैं।

इस समाचार के साथ ही यह भी समाचार है कि अरविन्द केजरीवाल जी की पार्टी के एक सांसद ने शिकायत की है कि उनकी पार्टी के पंजाब से निर्वाचित एक सांसद संसद में भी शराब पीकर आते हैं। उक्त शराब की गंध शिकायत कर्ता को सहन नहीं होती।

यह भी समाचार है कि उक्त सांसद ने संसद की सुरक्षा की चिन्ता न करते हुए गोपनीय जांच प्रणाली को भी सार्वजनिक करने की मूर्खता कर दी। प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल अपने ऐसे सांसदो, विधायकों को प्रशिक्षण क्यों नहीं देते?

मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि ऐसे ऐसे नासमझ कार्यकर्ता आंदोलन के लिये बहुत उपयोगी होते हैं । ऐसे लोगों से आप हर संदर्भ हीन मामले में भी प्रधानमंत्री के विरुद्ध कुछ भी टिप्पणी करा सकते हैं। ऐसे लोग यदि गंभीर गलती भी कर दे तो नशे के नाम पर उसको माफी दिलवा सकते हैं। साथ ही उसकी गलती को पंजाब चुनाव प्रचार में उपयोग भी कर सकते हैं कि शराब पीना कितना बुरा है। उदाहरण स्वरुप अपने सांसद का मूर्खतापूर्ण कृत्य रख सकते हैं कि नशा कितना खराब होता है, कि नशा हमारे सांसद से भी ऐसी गंभीर गलती करा सकता है। दोषी सांसद नहीं बल्कि नशा है जिसने सांसद से गलती कराई। अरविंद केजरीवाल जी को कई लाभ हुए। प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध भी आरोप लगवा दिया, पंजाब चुनाव में भी उपयोगी हो गया तथा गलती के लिये दण्ड में भी माफी मिल गई।

3. समाचार है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने बालश्रम कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किये है इन संशोधनों का अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ता विरोध भी कर रहे है।

पिछले साठ वर्षों से अलग अलग सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, संवैधानिक समस्याओं पर मैंने तथा हमारी टीम ने अनुसंधान किये, निष्कर्ष निकाले तथा समय समय पर सरकार तथा समाज के समक्ष प्रस्तुत भी किये। उन्नीस सौ इक्यान्नवे के पूर्व भारत में जो सरकारें रहीं वे मुख्य रुप से वामपंथ,समाजवाद तथा संगठित इस्लाम की विचार धारा से प्रभावित थीं या दबाव में थी। इनका आचरण लगातार हमारे निष्कर्षों के विपरीत होता था। इक्यान्नवे के बाद वामपंथ समाजवाद का प्रभाव घटा तो सरकार द्वारा हमारे निष्कर्षों की दिशा में भी कुछ विचार शुरु हुआ। अब दो वर्ष से वामपंथ समाजवाद तथा संगठित इस्लाम के दबाव से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। अब भारत अमेरिका आदि पश्चिम के देशों के समक्ष भी भिखारी के रुप में खडा न होकर बराबरी की दिशा में बढ रहा है। अब भारत पहले जैसा मजबूर नहीं, मजबूत हैं।

अब भारत सरकार अनेक ऐसे कदम उठा चुकी है या उठा रही है जिनकी मांग हम लम्बे समय से करते रहे है। हम हमेशा मांग करते रहे है कि बालश्रम कानून न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि घातक भी है। पश्चिम के देश भारत में भी ऐसे कानून लागू करानें में सक्रिय रहें हैं। दूसरी ओर भारत में भी कई लोग पश्चिमी देशों से कई प्रकार के धन, सम्मान या सुविधाएँ लेकर उन देशों की दलाली करते रहे है। बचपन बचाओ, बंधुआ मुक्ति अभियान जैसे अनेक नाम रख कर ये लोग भारत में समस्याएँ पैदा करते रहे है। अब सरकार बदली है। नई सरकार ने बालश्रम कानूनों में आंशिक संशोधन किये है। यद्यपि ये संशोधन पर्याप्त नहीं है किन्तु सकारात्मक दिशा तो स्पष्ट है ही।

मैं कल ही टी वी में बहस सुन रहा था। एक महिला ऐसे संशोधन से बहुत परेशान थी। मुझे महसूस हुआ कि उसकी मुख्य परेशानी यह रही होगी कि कहीं पश्चिमी देश उसे धन देना ही बन्द न कर दें। ऐसे लोगों से हमें बचने की जरुरत हैं।

4 टीकाराम देवरानी

प्रश्न 1– आपने बालश्रम कानून के लचीला बनने की प्रशंसा की है किन्तु ऐसा होने से बच्चों की शिक्षा पर कुछ बुरा प्रभाव पडेगा। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। सरकार का दायित्व होता है कि वह किसी भी तरह बच्चों को अधिक से अधिक संभव शिक्षा की व्यवस्था करें। दुनिया भी आपसे ऐसी ही उम्मीद करती है किन्तु भारत सरकार के इस नए कदम से शिक्षा पर विपरीत प्रभाव स्वाभाविक है। शिक्षा के विषय में आप क्या सोचते है।

उत्तरः– आपके प्रश्न में दो गंभीर प्रश्न उठते है– 1 बालक पर कितने प्रतिशत परिवार का अधिकार है, कितने प्रतिशत समाज का, तथा कितने प्रतिशत राष्ट्र का? 2 ज्ञान और शिक्षा में क्या फर्क है? मेरे विचार में बालक के वयस्क होते तक उस पर परिवार समाज तथा राष्ट्र का संयुक्त अधिकार होता है। यदि विभाजित किया जाय तो प्रत्येक का 33 प्रतिशत। वर्तमान समय में सरकार ऐसा मानकर चलती है कि बालक पूरी तरह राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा परिवार और समाज उसके संरक्षक मात्र है। मैं इस धारणा के विरुद्ध हूँ। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में ज्ञान घट रहा है तथा शिक्षा बढ रही है। भारत में तो यह स्थिति और भी अधिक विकराल हो गई है। भारत में हर आदमी शिक्षा की ओर तेजी से बढ रहा है, भले ही ज्ञान क्यों न घटता जाये। स्वयं सिद्ध है कि शिक्षा भौतिक प्रगति में सहायक होती है तथा ज्ञान नैतिक उन्नति में । पश्चिम के देश नहीं समझना चाहते क्योकि दुनिया के अशिक्षित देशों का शोषण करना उनकी प्राथमिकता होती है। भारत भी ऐसे देशों की आंख मूंदकर नकल कर रहा है जो उचित नहीं। ज्ञान परिवार और समाज से मिलता है, स्कूलों से नहीं, और न ही मोटी मोटी किताबों से। बच्चों को परिवार और समाज से अलग करके उन्हें शिक्षा तो दी जा सकती है किन्तु ज्ञान घटता चला जाता है। मेरा विचार है

कि सरकार को ज्ञान और शिक्षा का फर्क समझना चाहिए। यदि नासमझ दुनिया हमसे ऐसी उम्मीद करती है कि हम ज्ञान की अवहेलना करके शिक्षा विस्तार करें तो यह दुनिया की गलती है,हमारी नहीं।

प्रश्न 2– बालश्रम कानून न सिर्फ अनावश्यक है बल्कि घातक भी है। कृपया स्पष्ट कीजिए?

उत्तरः–बालश्रम परिवार व्यवस्था तथा समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप होने के कारण घातक है। बालश्रम कानून शिक्षा का महत्व बढाता है तथा श्रम का महत्व कम करता है। इसलिए यह कानून अनावश्यक भी है तथा घातक भी।

प्रश्न 3– पश्चिम के देश भारत में भी ऐसे कानून लागू कराने में सकिय रहें है। दूसरी ओर भारत में भी कई लोग पश्चिमी देशों से कई प्रकार के धन, सम्मान या सुविधाएँ लेकर उन देशों की दलाली करते रहे है। कृपया स्पष्ट कीजिए?

उत्तरः–भारत में जो भी एन जी ओ काम कर रहे है, उनमें से अधिकांश पश्चिमी देशों से धन लेते है तथा उनके ही ऐजेंडे को समाज सेवा कहकर आगे बढाते है। ये समाज सेवी संगठन वर्ग विद्वेश, वर्ग संघर्ष बढाते है। ये संगठन आमतौर पर पर्यावरण और मानवाधिकार के नाम पर भारत के विकास को रोकते है। ये संगठन बिजली उत्पादन में बाधा पैदा करते है।

5.कुलदीप रमोला, उत्तराखण्ड

प्रश्न–आपका कहना है कि बालश्रम कानून अनावश्यक कानून है। किन्तु एक बात जो मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई यह कि कुछ मामलों में हो सकता है कि यह श्रम बच्चे की आर्थिक दृष्टि से उचित हो लेकिन इस कारण आप उस कानून को अनुचित नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता हो किसी बच्चे के साथ वास्तविक दुर्व्यवहार हो रहा हो।

उत्तरः– राजनीति का एक सिद्धांत है कि वह हमेशा समस्याएँ पैदा करती है, विस्तार करती है तथा उसका ऐसा समाधान करती है जिस समाधान से किसी नई समस्या का जन्म हो। यदि किसी के साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है तो दुर्व्यवहार गलत है ,चाहे वह बालक के साथ हो या वृद्ध के साथ हो, चाहे वह दुर्व्यवहार महिला के साथ हो,या किसी अन्य के साथ। मैं इस तर्क से सहमत नहीं कि दुर्व्यवहार को बालक,वृद्ध,पुरुष,महिला में अलग अलग बांटकर अलग अलग प्रकार के कानून बनाये।

साथ ही यह भी विचारणीय है कि श्रम और शिक्षा के बीच किसके प्रति अधिक अन्याय हो रहा है तथा किसे अधिक प्रोत्साहन की जरुरत है। मैं श्रम को प्रोत्साहित करने के पक्ष में हूँ। मेरा यह भी मानना है कि शिक्षा को दिया जाने वाला प्रोत्साहन श्रम शोषण के उद्देश्य से होता है। विशेषकर यह संदेह तब और अधिक मजबूत हो जाता है जब सरकार शिक्षा पर बजट बढाती है तथा उसकी पूर्ति के लिए गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पर टैक्स लगाती है। मैं इस पक्ष में हूँ कि सरकार को शिक्षा का सारा बजट बंद करके गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पर लगने वाले किसी भी प्रकार के टैक्स से माफ कर देना चाहिए।

6 कुँवर नीरज सिंह

प्रश्न– मुनि जी आपका बडा अध्ययन है। मैं प्रायः आपके मत से सहमत होता हूँ और कभी नहीं भी। उपरांत भी लेख को अग्रेषित करता हूँ। अपने मित्रों में उनकी राय भिन्न हो सकती है। मेरी आपसे एक मसले में मतभिन्नता है कि आप इस्लाम के जिस दूसरे पक्ष की चर्चा / तारीफ कर रहे है उसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें, इतिहास के पन्नों से उठाकर

उत्तरः–मैंने संगठित इस्लाम और धार्मिक इस्लाम को अलग अलग करके धार्मिक इस्लाम का समर्थन किया है, जिस पर आपने जानकारी मांगी है। दुनिया के अनेक देशों में सूफी विचारधारा का इस्लाम आया। ऐसा इस्लाम धार्मिक कहा जा सकता है। अकबर दीनइलाही लागू करना चाहता था। दाराशिकोह को भी धार्मिक इस्लाम से जोडा जा

सकता है। वर्तमान समय में भी अनेक ऐसे लोग हैं जो संगठित इस्लाम के या तो विरुद्ध है अथवा भय के कारण उनके सामने चुप रहते हैं। अनेक धार्मिक मुसलमान इस लिए भी उनके साथ रहने के लिए मजबूर है क्योंकि हम लोग उनमें और संगठित इस्लाम में भेद नहीं कर पाते। यदि हम यह भेद करके अपना व्यवहार संतुलित कर ले तो संभव है कि बडी संख्या में मुसलमानों में विभाजन हो जाये। इस संबंध में पिछले 50 वर्षों में मैने रामानुजगंज शहर में कई प्रयोग किये है और मैं प्रयोग करके यह बात लिख रहा हूॅ। उन प्रयोगों के परिणाम आज भी रामानुजगंज शहर में आप देख सकते है।

प्रश्नोत्तर

1.श्री योगेन्द्र प्रसाद तिवारी,रीवा म0प्र0

प्रश्नः— आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा चलाए गये समाज उत्थान हेतु व्यवस्था परिवर्तन अभियान का उद्देश्य सफलता की ओर अग्रसर है। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आप जैसे महान त्यागी अब बहुत कम ही बचे है। आज मैं एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते देश में समाज सेवा का कार्य करता हूॅ। किन्तु कुछ दिनों पूर्व आपके व्यवस्था परिवर्तन अभियान का उद्देश्य जानकर वृन्दावन की बैठक में आया था जहा मैं एक कार्यकर्ता के रुप में आपके विचारों और उद्देश्यों को जानने का प्रयास किया। हमारे संगठन में 3 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता की छवि को पसन्द करता हूॅ क्योंकि जो कार्य को करता है वही तो कार्यकर्ता है। वृन्दावन की बैठक में आपका त्याग, धैर्य और साहस देखकर समाज को आशा की किरणें दिखने लगी। मैं आपके विचारों और कार्यो से प्रफुल्लित हूॅ। आज देश में इंसान धन, वैभव और सुख, साधन की ओर खिचता चला जा रहा है परन्तु इस उम्र में भारत माता और समाज के चिंतन का आपका कार्य सराहनीय है। आपसे मिलने के बाद एक नई उर्जा और समाज के लिए बहुत कुछ करने की प्रेरणा जगी है। आपने अहंकार और अहम से दूर होकर जो स्वप्न देखा है वह अवश्य पूरा होगा। इस उम्र में आपका समाज के प्रति त्याग, समर्पण वंदनीय है। समाज सेवा के लिए कहीं अमृतवाणी तो कहीं अपनो के द्वारा कटु शब्द सुनकर भी धैर्य के साथ सबकी बात सुनना, आलोचनाओं की बिना परवाह किए साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना निश्चित रुप से आपके अन्दर देवात्मा का वास है। आसुरी और दुराचारी शक्तियॉ हर युग में थीं किन्तु जीत हमेशा सच्चाई और समाज सेवा के मार्ग में चलने वालों की हुई है। निश्चित रुप से आपका मार्ग कंटकाकीर्ण और कठिन है किन्तु आपके अन्दर, त्याग समर्पण निष्ठा ईमानदारी धैर्य और साहस है,जिसके आगे सभी बाधाएॅ दूर होकर व्यवस्था परिवर्तन अभियान का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

मैं आपके विचारों और उद्देश्यों से पूर्ण रुप से सहमत हूॅ। आपके द्वारा दिखाया मार्ग अब समाज का है। आपने जो नीव डाल कर अलख जगायी है उसे गॉव गॉव तक पहुॅचाना सभी का कर्तव्य है। मुझे यह पत्र लिखना चाहिए या नहीं यह तो मैं नहीं जानता किन्तु मैं आपके स्वभाव, त्याग और जीवन शैली से प्रभावित होकर अपने आपको नहीं रोक सका। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूॅ कि अब पूरे देश में जन जागरण, प्रशिक्षण, प्रवास, आदि के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन अभियान का संदेश गॉव गॉव तक पहुचाया जायेगा। आपसे प्रभावित होकर हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है। इतना ही नहीं सभी तीन लाख कार्यकर्ताओं को आपके विचार उद्देश्य और लक्ष्य से अवगत कराया जा रहा है। आपका समाजहित में उठाया गया कदम स्वागत और वंदनीय है। आप जैसे कुशल नेतृत्व कर्ता ही समाज की दशा और दिशा बदल सकते है। मुझे ना किसी पद की आवश्यकता है न प्रशंसा की, मैं तो एक कार्यकर्ता की भांति दिखाए गये मार्गों पर चलना चाहता हूॅ। मैं म0 प्र0 के रीवा जिले का रहने वाला हूॅ संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता पूर्व में बजरंगदल महाकौशल प्रांत का संयोजक वर्तमान में हिन्दू स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कार्य कर रहा हूॅ। किन्तु मैं अपने को सदैव एक कार्यकर्ता माना हूॅ। किन्तु आपके त्याग और समपर्ण की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था परिवर्तन अभियान के मार्ग को प्रशस्त करुंगा। मैं एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूॅ जिसने बचपन में ही समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरा जीवन लगा दिया । अब देश में व्यवस्था परिवर्तन के संदेश को जन जन तक पहुॅचाना मात्र एक उद्देश्य है। आपके साथ पूरा देश खडा है। आपके द्वारा बताए गये चार बिन्दुओं पर समाज में जागृति लाना है।

आपका त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा। पत्र लिखने का उद्देश्य किसी की प्रशंसा करना नहीं है और न ही दिल दुखाना है बल्कि यह विश्वास दिलाना है कि आपके व्यवस्था परिवर्तन अभियान के मार्ग एवं उद्देश्य की पूर्ति में पूरा देश खडा है। पत्र के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन अभियान का मनोबल उत्साह बढाना है । निश्चित रुप से दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के कारण, विजय आपकी होगी।

थोडा चल के बैठ न जाना, विजय आपकी होगी।
विघ्न देख पीछे मत हटना मन मत होना कभी उदास
पहुॅच जाओगे कर विश्वास।

बैठक में जो रीवा जिले की सूची सौपी गई वह मैंने ही सौंपी। मैं तो पूरे म0 प्र0 की सौपना चाहता था किन्तु आपके द्वारा जिला सूची सौपने के पश्चात 2000रु की राशि देने की घोषणा कर दी गई जिससे मैं आश्चर्य में पड़ गया और दुखी भी हुआ क्योंकि मेरा मन विचलित हो गया क्योंकि समाज सेवा तो मन के भाव और पूर्ण समाज सेवा का कार्य करना तो पुण्य और गर्व का विषय है। हमारे पूर्वजों का दिया गया संस्कार है। जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा की प्रेरणा जगाते हैं भविष्य में समाज की सेवा करने में कोई लालच प्रलोभन या धन राशि ना दी जाय अन्यथा कार्यकर्ता मूल मार्ग से भ्रमित होकर सिर्फ लालच और प्रलोभन पाने के लिए खुद भ्रमित रहकर समाज को भी भ्रमित करने का प्रयाय करेगा। आशा है हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास किया जायेगा।

उत्तरः—आपने बडी संख्या में साथियों के साथ इस कार्य में साथ होने का संकल्प व्यक्त किया है। इससे हम सब साथियों का विश्वास बढा है। मैं चाहता हूँ कि आप जिन बातों पर असहमत हो उन पर भी अपने विचार व्यक्त करेंगे तो विचार मंथन आगे बढने में सहायता होगी।

वृंदावन बैठक में दो हजार रु की चर्चा का गलत अर्थ निकाला गया। वस्तुस्थिति यह है कि अभियान का कार्य दिसम्बर 15 से शुरु हुआ है। हमारे पूर्णकालिक साथी हर जिले में जाकर किसी जिला प्रमुख को तैयार करते है जो अपने जिले में इस अभियान को आगे बढाता है। अब तक के सात महिनों में करीब पौने तीन सौ जिलों के लोगों ने यह दायित्व स्वीकार किया है। किन्तु हमारे साथियों को नया क्षेत्र होने के कारण जिला प्रमुख चयन में समय भी अधिक लगता है तथा खर्च भी अधिक आता है क्योकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता अपना समय भले ही देदे किन्तु मार्ग व्यय अथवा अन्य यात्रा खर्च तो कार्यालय को ही वहन करना होता है। इस दृष्टि से सोचा गया कि यदि अपना कोई जिला प्रमुख या अन्य कार्यकर्ता किसी ऐसे जिले में जाकर वहॉ जिला प्रमुख का चयन कर दे जहॉ अब तक हमारे पूर्णकालिक नहीं पहुँच सके है तथा यदि उनके प्रवास में कोई व्यय होता है तो ऐसे साथी के प्रवास में हम 2000रु तक की मदद कर सकते है। इससे एक लाभ और होगा कि पूर्णकालिक द्वारा चयनित जिला प्रमुख की अपेक्षा स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा चयनित जिला प्रमुख की सक्रियता का अधिक विश्वास रहेगा। हमारे कुशीनगर के साथी को भी ऐसा ही भ्रम हुआ था जो उन्हें बता दिया गया है। जिला कमेटी तो हमारे जिला प्रमुख ही बना रहे है। कई जगह बन भी गई है। कई जगह बन रही है। तथा कई जगह यात्रा में बन जायेगी।

मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हमारा अभियान किसी भी रुप में कहीं से भी कोई चंदा नहीं लेता है। हम लोग कोई पंजीकृत समूह भी नहीं है। हम सब तो आपस में एक दूसरे की सहायता करके ही अभियान को आगे बढा रहे है। हमारा कोई भी पूर्णकालिक हमसे किसी प्रकार के वेतन की अपेक्षा ही नहीं रखता इसके बाद भी यदि कुछ खर्च होता है तो हमारे अनेक सहयोगी स्वेच्छा से इतनी सहायता कर देते है जिससे हमें कोई कठिनाई भी न हो, तथा कहीं कुछ मांगना भी न पडे।

2.ओम प्रकाश मंजुल, पीलीभीत,उ0प्र0

मैं आपके ज्ञानतत्व कमांक 337 को पूर्णतः पढकर तत्संदर्भी प्रतिकिया प्रेषित कर रहा हूँ—

आपने इस अंक में अनेक शीर्षकों के अन्तर्गत अपने सुधारात्मक विचार रखे हैं। इनमें से कुछ विचार ऐसे है,जिनसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ तथा शेष विचारों में आंशिक रुप से संशोधन व सुधार का पक्षधर हूँ। इस संबंध में शुरु से ही उल्लेख कर रहा हूँ।

पूर्ण सहमति—व्यवस्था परिवर्तन क्यों? अपराध,समानता,सामाजिक, धार्मिक तथा महिला पुरुष संबंध शीर्षकों के अन्तर्गत रखे विचारों के बारे में मेरी सहमति है। मीडिया तथा अन्य शीर्षक के अर्न्तगत प्रस्तुत आपके विचारों से मैं 100 प्रतिशत से अधिक इस अर्थ में सहमत हूँ कि पीत पत्रकारों के लिए दण्ड की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिसका उल्लेख आपने नहीं किया। मीडिया से जुडे संपादक या मुख्यकर्ता धर्ता वे लोग है जो रीझ जाये तो फिद्द को फिदा हुसैन बना दें और खीझ जाये तो फिदा हुसैन को फिदद बनाकर रख दें। मीडिया लोगों का इतना शोषण कर रहा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। खबरों को बढ़ा घटा कर छापना और दिखाना मीडिया का संस्कार बन चुका है तथा प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया दोनों एक दूसरे से बढ़ कर हैं। इसी कारण आज मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, की छवि पुलिस से भी अधिक खराब हो चुका है।

आंशिक असहमतिः— नई व्यवस्था का प्रस्तावित प्रारुप के अन्तर्गत आपने हालांकि अनेक कहते हुए प्रमुख 21 विकृतियॉ बतायी हैं। मेरा मानना है कि गंभीरता पूर्वक और लंबे समय तक विचार किया जाये तो मुख्य विकृतिया भी 50 से कम न निकलेगी । 2 परिवार व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्त विचारों में सुधार की काफी गुंजाईश है। मसलन 12 वर्ष से अधिक को वयस्क मानना। मानते है नित प्रति 15—20 साल के बालको द्वारा किये जाने वाले व्यभिचारों को देख कर लगता है उनमें वयस्कता की रफ्तार अति तेजी से बढ रही है तथापि वयस्कता की निम्न सीमा 15 वर्ष तो रखी ही जानी चाहिए। 21 से 18 वर्ष आयु कराने के पीछे मुख्य से मुलायम सिंह का हथकंडा था, जिसके द्वारा उनने उ0प्र0 चुनाव में उन लाखों छात्रों के मत प्रांप्त किए थे, जिन्हें उनने परोक्ष रुप से बोर्ड परीक्षा में नकल करायी थी। निश्चित

रुप से इन बालको की अपरिपक्वता का मुलायम ने फायदा भी उठाया था। आपके कथन कि किसी परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो इसमें परिवार को दोषी माना जाये। आपको शायद अभी तक भी यह अनुभव नहीं है कि अनेक बार ऐसे अपरिहार्य कारक उपस्थित हो जाते हैं कि परिवार का मुखियॉ अपराधी परिजन के साथ वैसा नहीं कर सकता। ग्राम सभा में आपका 99 का चक्कर पल्ले नहीं पडा। आपके इस गणित से देश की कुल आबादी एक अरब 26 करोड के करीब होगी और लोक प्रदेशों जिलों तथा ग्रामों की संख्या सौ मानने पर यह एक अरब तीस करोड होगी। क्या आवश्यक है कि देश की आबादी 99 के सोचे खाने में फिट बैठने भर की हमेशा बनी रहे, वह भी तब जब आपने आबादी बढाने वालों पर बडा शिकंजा कसने की बात नहीं कही है। इसी प्रकार किसी परिवार के ग्राम सभा के द्वारा बहिष्कृत किये जाने की बात भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। परिवार द्वारा अनुचित कार्य किये जाने पर उसे अन्य कठोर दण्ड दिया जा सकता है, पर ग्राम सभा द्वारा उसे निकाल दिए जाने का अधिकार अमानवीय और अपमानजनक भी है और अव्यावहारिक भी। परिवार के मुखिया द्वारा मत देकर परिवार की कुल मत संख्या के बराबर मतों की गणना की प्रणाली भी अतार्किक है। फिर पूर्ण लोकतंत्र न रहकर सीमित लोकतंत्र प्रतिबंधित प्रजातंत्र या पारिवारिक मुखिया तंत्र का रुप हो जायेगा।

न्यायपालिका के उपशीर्षक नई व्यवस्था में निम्न संशोधन प्रस्तावित हैं– से भी पूर्ण सहमत नहीं हुआ जा सकता। उपवाक्य में वर्णित है– न्यायपालिका न तो जनहित को परिभाषित कर सकती है न ही जनहित याचिकाये सुन सकती है। फिर ये कार्य जो आजकल की पार्टी बेस्ड पतित सरकारों के जमाने में अति महत्वपूर्ण हैं कौन करेगा? हो ना तो यह चाहिए जो कभी कभी देखने को भी मिलता रहता है कि जनहित से संबंधित किसी मुददे पर न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान भी लेना चाहिए। उपबंध 6 में वर्णित, आपराधिक मामले का अंतिम निर्णय जिला जज ही करेंगे कई कारणों से मान्य नहीं हो पा रहा है। इसी तरह उपबंध 8 में वर्णित कि सच बोलने वाले झुठ बोलने वाले अभियक्त के दण्ड में युक्ति संगत इतना फर्क किया जायेगा कि न्यायालय में सच बोलने की प्रवृत्ति प्रोत्साहित हो। सबसे अंत बात तो यही है कि आज लाई डिटेक्टर भी झूठ बोलने वाले का झूठ नहीं पकड पाता अपराधी इतना शातीर हो चुके हैं और न्यायालय में गीता और कुरान की कसम खाने के बाद भी अमूमन झूठ ही बोला जाता है। समझ में नहीं आता कि मुनिजी कौन सा जादुई तरीका अपनायेंगे कि सच और झूठ को अलग अलग कर देंगे। संविधान के उपशीर्षक संविधान के मूल ढांचे के अन्तर्गत आपने कुछ और परिवर्तन के सुझाव दिए हैं वे ना काफी हैं। मसलन इनमें न तो आपने समान नागरिक संहिता जिसकी आप हमेशा अनिवार्यता बताते हैं, की चर्चा की है और न यही स्पष्ट किया है कि चुनाव दलगत होंगे या व्यक्तिगत जिस पर व्हिप की सार्थकता निर्स्थकता निर्भर करती है। यही पर आर्थिक विश्लेषण में आपके प्रतिशत निर्धारण से भी मैं असहमत हूॅ। स्वतंत्रता के बाद अब तक निचली आबादी का जीवन स्तर आपके अनुसार लगभग दो गुना बढा है जबकि मेरे अनुसार लगभग 25 गुना बढा है। मेरे अनुसार मध्यम श्रेणी का जीवन स्तर भी 10 गुना से अधिक बढा है। महंगाई के बारे में आपका विवेचन हमेशा से अति भ्रामक रहा है। आपके अनुसार महंगाई लगातार घट रही है जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराज का स्टेटमेंट आज ही अखबारों में छपा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आपकी बात को माने या देश के रिजर्व बैंक के शीर्षक अधिकारी की बात को। अच्छा हो आप एक बार इस मुददे पर रिजर्व बैंक के गवर्नर से बहस कर लें। इसी शीर्षक से संदभिर्त इस संबंध में मेरा यह प्रस्ताव है उपशीर्षक के अन्तर्गत विन्दु दो में आप कृत्रिम उर्जा के मूल्य बढा कर साढे बत्तीस लाख करोड रु एकत्रकर 25 हजार/50 हजार प्रतिव्यक्ति बांटने की बात कहते हैं इसके पीछे की अर्थनीति तो समझ में आती है पर यह समझ में नहीं आ रहा कि साढे 32 लाख की ही राशि क्यों तय की गई हैं? बता दें कि मोदी जी आपकी सब्सिडी संबंधी नीति से प्रभावित होकर आपकी नीतियों को यत्किंचित कियान्वित भी कर रहे हैं पर उनकी नीतियॉ भी सारी की सारी अच्छी नहीं है। उनकी अनेक नीतियों का धनी और निर्धन दोनों ही वर्गो पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। उनकी कल्याणकारी नीतियों से एक ओर धनिकों की सेविंग कैपेसिटी और दूसरी ओर निर्धनों की वर्किंग कैपेसिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। इसे समझाने के लिए एक विस्तृत लेख लिखा जा सकता है। इस शीर्षक से 8 वें विन्द में वर्णित सेवाओं पर कडे सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत आपको जनाधिक्य के नियंत्रण संबंधी विचार अवश्य रखने चाहिये थे। मैं मानता हूॅ जनाधिक्य सारी समस्याओं की जननी है। किसी भी प्रकार से एक बार जनसंख्या पर नियंत्रण कर लीजिए,शेष समस्याएॅ आधी तो रह ही जायेगीं। इनकी गति और उत्पत्ति भी रुक जायेगी। आपके शिक्षा संबंधी विचारों से भी लगभग सहमत है। तथापि शिक्षा का कार्य एवं प्रबंधन व नियंत्रण जटिल कार्य है। तीसरे आपने ब्राहमण क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लिए उचित जिन तीन टेस्टों की बात की है, तो तीनों में फेल बालक कहॉ जायेंगे क्या करेंगे? भारत में लोकतंत्र अपने विकृततम और उच्श्रृंखलतम रुप में है। आपके इस विचार की काफी छीछा लेदर भी हो सकती हैं? पटवारी, जमीन, कंपाउंडर,डाकिया,वेलदार,चपरासी को आप किस वर्ग की सेवा के अन्तर्गत रखेंगे? अभी लिखने पूछने को काफी रह गया है।

उत्तरार्ध

1.श्री छविल सिंह सिसोदिया,सदस्य राष्ट्रीय नीति निर्धारण समिति,व्यवस्थापक,दिल्ली

वर्तमान में केन्द्र से एक परिवार का शासन समाप्त हुआ है। लेकिन अनेक राज्यों में परिवार व शक्ति सम्पन्न समूह का शासन चल रहा है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

बन्धनों का जाल बिछाकर या विषमता का समूह रचकर लोकतंत्र नहीं चलाया जा सकता। जाति सम्प्रदाय के नाम पर बहुमत प्राप्त करके लोकतंत्र की पौध को जीवित नहीं रखा जा सकता। विचार सम्मत है कि लोकतंत्र का मूल्य व्यक्ति है। व्यक्ति का मूल्य स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मूल्य समानता है।

लेकिन वर्तमान लोकतंत्र के तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने तथा वोटर की शक्ति से निर्मित लोकतंत्र के शासक ने इतनी बडी असमानता की है कि राजा से भी अधिक सुख सुविधा से जेड श्रेणी की सुरक्षा के कवच से अपने को सुरक्षित रखा है। आम जनता की सुरक्षा शून्य है।

आम जनता की मूल अवधारणा 1 सुरक्षा 2 न्याय जो निश्चित अवधि अर्थात अधिक से अधिक 2 या 3 वर्ष के भीतर जनता को मिला होता तो अपराध व भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त होता। लेकिन शासक वर्ग जनता का ध्यान मूल व मुख्य से हटाकर उस विकास के नाम कर रहा है जिस विकास के नाम पर देश में घटिया सामग्री लगा कर ठेकेदार इन्जीनियर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं शिखर पर बैठे उच्च पदासीनों की मिलीभगत से जनता के धन का भ्रष्टाचार कर मुट्ठीभर चन्द लोग नेता व नौकर का विकास हुआ हैं। उसे जनता का विकास बताया जा रहा है।

इसी तरह ग्राम समाज की सरकारी सम्पत्ति से लेकर बडे बडे प्राधिकरण तक की सम्पत्ति पर तहसीलदार, एस डी एम व डीएम आदि की अवैध धन की वसूली से अनाधिकृत कब्जे कराने पर मुट्ठी भर चन्द नौकरशाही की भ्रष्ट सम्पत्ति को विकास कहलवाया जा रहा है।

आम जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी व नौकर पेशा स्वयं अपने कठिन परिश्रम से अपने परिवार के विकास हेतु प्रयासरत है। जनता के धन से देश के नेता व नौकर ने अपना इतना विकास कर लिया है कि आम साधारण व चरित्रवान व्यक्ति धन की कमी के कारण विधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ सकता।

चुनावी प्रक्रिया से जन प्रतिनिधि क्षेत्रीय जनता के वोट से चुना जाता है तो स्वतः ही जनप्रतिनिधि की नियुक्ति का अधिकार जनता का बनता है। क्षेत्रीय जनता को जनप्रतिनिधि के असंवैधानिक व संदिग्ध कार्यो पर वापस बुलाने व निलम्बित करने का अधिकार वोटर के लिये सुनिश्चित नहीं किया जाना, वोटर के साथ धोखा है।

राज्यों में बैठे राजनैतिक बिचौलिया अपनी पार्टी के प्रत्याशी जबरन जनता पर थोपते है। क्षेत्रीय जनता अपना प्रत्याशी स्वयं घोषित करेगी, तो जनप्रतिनिधि जनता का होगा। किसी राजनैतिक पार्टी का नियंत्रण न रहकर जनता का सेवक रहेगा।

जनप्रतिनिधि पर व्हिप जारी कर जबरन असहमति से सहमति लेना उसकी स्वतंत्रता का हनन है। संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है भूलवश यह समझा गया कि संसद में ही स्वतंत्रता है। लेकिन व्हिप जारी करने की प्रक्रिया से स्पष्ट हुआ है कि संसद को भी चन्द सम्पन्न समूह चलाता है। शेष जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी के सेवक के रुप में उपस्थित रहते है। स्वतंत्र रुप से अपना विचार प्रकट नहीं कर सकते है।

उपरोक्त कुव्यवस्था का परिणाम है कि उ0 प्र0 में मुजफ्फरनगर जिले का कबाल काण्ड नोएडा में बिसायडा गॉव का अखलाख काण्ड और अब मथुरा में जवाहर बाग में हुआ जलियावाला बाग जैसा भीषण कांड में डी एम व एसपी को हटा कर मुख्यालय से जोडने की सजा दी गई। पूर्व के डी एम व एस पी ने मुख्य सचिव व डी जी पी से लेकर शासन को निरन्तर जवाहर बाग की आतंकित गतिविधियों से अवगत डेढ वर्ष से करा रहे थे। इन उच्च पदासीनों के लिये दंडित नहीं किया जाने से लगता है कि राजनैतिक सामन्तवाद है। लोकतंत्र के नाम पर व्यवस्था में सीधे अंग्रेजों जैसी तानाशाही बनी हुई है।

सत्ता में बने रहने के लिये जनता पर जुर्म तो किया ही जाता है। लेकिन प्रशासन को भी सत्ता अपनी साजिश का शिकार बनाती है।

बन्धनों का जाल विषमता की ब्यूह रचना इस देश की जनता ने सीमित समय तक ही सहन की है। व्यवस्था परिवर्तन अभियान वर्तमान अप्रत्यक्ष तानाशाही का विकल्प खोज रहा है। प्रधानमंत्री जी आप जैसे कर्मठी निष्ठावान विश्वसनीय सत्ताधारी सहभागी बन जाये तो शुभ समय का संकेत समझा जायेगा।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपराध व भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिये व्यवस्था की प्रथम इकाई परिवार गॉव व जिला को अपने विकास कार्य में व पारिवारिक निर्णय के लिये इकाईगत संवैधानिक अधिकार देना सुनिश्चित करें तथा कर्तव्यहीनता एवं अनुत्तरदायित्व को जनहित में अपराध की श्रेणी में शामिल करें ताकि उच्च पदासिन दण्ड से न बच पाये। जनहित में विचाणार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन है कि मेरी इस याचिका को जनहित याचिका के रुप में स्वीकार करने की कृपा करें।